

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प नेतरा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद स - 65/2017
दायर तिथि - 18.08.2017
तारीख फैसला - 15.06.2018

वादी-

1- भैरुसिंह पुत्र पीरसिंहजी, जाति रावणा राजपूत,
निवासी पराखिया, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज0)।

बनाम:

प्रतिवादी-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,
सुमेरपुर, जिला पाली(राज0)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

-:निर्णय:-

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

- (1) वादी द्वारा चह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा पराखिया पटवार क्षेत्र नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 499 रकबा 0.38 हैक्टर पुश्तैनी व नियमन सुदा कब्जे काश्त की आयी हुई स्थित है, जिस पर वादी के पूर्वजों काल से वादी का कब्जाकाश्त चला रहा है परन्तु आज तक वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध धारा 91 आर.एल. आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना वसूला जा रहा है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित करावे। प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे।
- (2) पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रतिवादी पैरोकार ने लिखित बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है इसलिए वादी का यह वादपत्र खारिज किया जाता है।
- (3) फलस्वरूप हमने पाया है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है, वादी को वादग्रस्त भूमि नियमन होने या इस पर पुश्तैनी पुराना कब्जा काश्त होने जैसा ऐसा कोई प्रामाणिक प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है, फलतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में कानूनन किसी प्रकार से खातेदारी या स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं बनता है। नेतरा नगरपालिका सुमेरपुर के पैराफेरी परिधीय क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन या खातेदारी देना विधिसम्मत नहीं है, इसलिए वादी का यह वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत नेतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली